संख्या- 03/2018/255/29-5-2018-5(14)/02

प्रेषक,

शीतला प्रसाद ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल,2018

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ क्रय हेतु क्रय संस्थाओं को ऋण/अग्रिम की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-ले0शा0/2634/128/खा0-1/रबीखरीद2018-19 दिनांक 20 मार्च,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल रबी खरीद वर्ष 2018-19 में रबी खाद्यान्न (गेहूँ) की खरीद हेतु मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कुल रू0 2375,00,00,000.00(रूपये तेइस अरब पच्चहत्तर करोड़) मात्र ऋण/अग्रिम के रूप में अधोलिखित क्रय एजेन्सियों को निम्नवत् विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

d0	संस्था का नाम	स्वीकृत अग्रिम/ ऋण वर्ष 2017-18 (धनराशि करोड में)	स्वीकृति के सापेक्ष भुगतानित (धनराशि करोड में)	रबी विपणन वर्ष 2017-18 हेतु स्वीकृत अग्रिम एवं देय ब्याज की अवशेष धनराशि जिसका समायोजन क्रय योजना वर्ष 2018-19 में होना है:-		रबी क्रय योजना वर्ष 2018-19 हेतु स्वीकृत अग्रिम की धनराशि
				मूलधन	ब्याज	
1	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी0सी0एफ0)	200.00	0	0.00	0	2000,00,00,000.00
2	उ0प्र0 राज्य कृषि एवंऔधोगिक निगम (यू0पी0एग्रो)	25.00	25.00	0.00	81,29,096.00	50,00,00,000.00
3	उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस0एफ0सी0)	25.00	25.00	0.00	53,97,712.00	25,00,00,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव यूनियन लि0	100.00	100.00	0.00	2,32,30,493.00	100,00,00,000.00
5	उ0प्र0राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	75.00	65.00	0.00	2,34,66,232.00	200,00,00,000.00
	;kx	425.00	215.00	0.00	6,02,23,533.00	2375,00,00,000.00

(1) आयुक्त खाद्य एव रसद विभाग ब्याज की अवशेष धनराशि रू0 6,02,23,533.00 का समायोजन सम्बन्धित संस्था को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि से कर लेगें। आकणों की गणना/ शुद्वता का दायित्व आयुक्त खाद्य एव रसद विभाग का होगा।

(2) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/10-15-1(1)/69, दिनांक 25-10-1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/10-11-15-1(1)/69, दिनांक 10-6-2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस -2017-15/1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालने सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग का होगा।

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी वयवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आकडों में भी समायोजन करा दिया जाएगा।

(6) यह सुनिश्चित किया जाये कि ट्रेडिंग एकाउण्ट की वर्तमान ऋणात्मक स्थिति में सुधार लाते हुए इसे धनात्मक स्थिति में परिवर्तित किया जाये एवं इस हेतु अधिग्रहण मूल्य तथा सब्सिडी की जो धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जानी अवशेष हो, उसे विशेष प्रयास करके प्राप्त किया जाये। अग्रिम की ब्याज सहित वसूली निर्धारित समय सीमा त क सुनिश्चित की जाये।

(7) ऋण/अग्रिम की धनराशि प्राप्त होते ही आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त क्रय संस्थाओं को गत वर्षो में रबी क्रय योजना में समय-समय पर दी गयी ऋण/अग्रिम की पूरी धनराशि शासन को तुरन्त वापस प्राप्त हो जाये। इस ऋण/अग्रिम की ब्याज सहित वापसी निर्धारित समय-सीमा मे सुनिश्चित करायेंगे ताकि प्रदेश शासन की अर्थोपाय स्थिति कुप्रभावित न होने पाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) स्वीकृत किये जाने वाले ऋण/अग्रिम की धनराशि पर सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा देय ब्याज की दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाद्यान्न के क्रय हेतु स्वीकृत किये जाने वाले (सी0सी0एल0) पर देय ब्याज की दर से 2 प्रतिशत अधिक होगी। ब्याज की दर तथा गणना विधि पूर्व की भॉति मासिक कम्पाउण्डिग के आधार पर की जायेगी। ऋण राशि की वापसी, ब्याज का भुगतान समय से शासन को हो जाये जिससे इस वर्ष के बकाये को अगले वर्ष के ऋण से समायोजित करने की स्थिति न आये। प्रत्येक वर्ष निर्देशित किये जाने के बावजूद भी समायोजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अत: इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। गत वर्ष/वर्षो में संस्थाओं को दिये गये ऋण/अग्रिम के डिफाल्ट की स्थिति में नियमानुसार ब्याज सहित अदायगी सुनिश्चित कर ली जाये।

(9) अधिकतम 31 अक्टूबर, 2018 तक क्रय एजेन्सियों द्वारा अग्रिम की धनराशि ब्याज सहित (मूलधन तथा ब्याज) शासन को अवश्य वापस किया जाये।

(10) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 सम्बन्धित क्रय एजेन्सियों के प्रबन्ध निदेशक से गारण्टी बॉण्ड आदि भरवाकर ही अग्रिम का भुगतान करेंगे तथा अग्रिम की वापसी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रय संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक का होगा। अन्ततोगत्वा आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्रिम की पूरी धनराशि ब्याज सहित यथा समय-समय राजकोष में अवश्य जमा हो जाये।

(11) गत रबी विपणन वर्ष 2017-18 में स्वीकृत ऋण अग्रिम की अदायगी न होने पर यदि कोई धनराशि शेष है, तो उसका समायोजन यथाशीघ्र कर लिया जाये।

2- आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 के निस्तारण पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-21 "लेखा शीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के अन्तर्गत रखी गयी धनराशि से उपरोक्त अंकित क्रय एजेन्सियों को उपरोक्त शर्तो के अधीन अग्रिम का भुगतान किया जायेगा तथा ब्याज अदायगी भाग-4 के उन वसूलियों के ब्यौरे, जिन्हें लेखों में से घटा दिया गया है, के लेखा शीर्षक-4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

3- आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा यह भी भलिभांति सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में जो स्वीकृत ऋण अग्रिम है वह ब्याज सहित राजकोष में जमा हो गया है, जिसका नियमानुसार समायोजन हो गया है।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशासकीय संख्या-ई-7-410 /दस/2018 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-03/2018/255(1)/29-5-2018-5(14)/02 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0एग्रो/ एस0एफ0सी0/उ0प्र0 कोआपेरिटवयूनिय लि0

2- अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- महालेखाकार,उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (लेखा) अनुभाग-1/खाद्य तथा रसद अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।